रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, मई 29—जून 4, 2016, शनिवार/ज्येष्ठ 8—ज्येष्ठ 14, 1938

No. 23] NEW DELHI, MAY 29—JUNE 4, 2016, SATURDAY/JYAISTHA 8—JYAISTHA 14, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

विदेश मंत्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

का.आ. 1066.—राजनयिक और कोंसुलीय अधिकारी (शपथ एवं फीस) के अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में वैधानिक आदेश।

एतद्वारा, केंद्र सरकार भारत के प्रधान कोंसलावास, दुबई में श्री जितेंदर सिंह खत्री, सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री प्रसन्ता कुमार बैस्नव, ए.पी. डब्ल्यू. ओ., श्री अनिल कुमार मुखी, सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री जेठू राम, जूनियर सचिवालय सहायक, श्री जसपाल अहुजा, सहायक अनुभाग अधिकारी, महेन्दर कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी और श्री कनवलजीत सिंह, जूनियर सचिवालय सहायक को दिनांक 25 मार्च, 2016 से सहायक कोंसुलर अधिकारी के तौर पर कोंसुलर सेवाओं के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी.-4330/07/2016]

प्रकाश चन्द, उप सचिव (कोंसुलर)

नई दिल्ली, 27 मई, 2016

का.आ. 1130.— राष्ट्रपति, श्री देशपाण्डे मलहार विश्वनाथराव, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायाल, मुम्बई–II को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह श्रम न्यायालय, नागपुर के पीठासीन अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार 6–5–2016 से छः महीनों तक की अवधि अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा जाता है ।

[सं. ए–11016/03/2009–सीएलएस–II]

एस. के. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2016

S.O. 1130.—The President is pleased to entrust the additional charge of the post of Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur to Shri Deshpande Malhar Vishvnathrao, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Mumbai-II for a period of six months with effect from 6-5-2016 or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

[No. A-11016/03/2009-CLS-II]

S. K. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2016

का.आ. 1131.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा–1 की उप धारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 01 जून, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय–4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय–5 और 6 (धारा–76 की उप धारा–(1) और धारा–77 ,78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध उत्तराखण्ड राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

"हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर के जिले में आने वाले सभी राजस्व ग्राम।"

[सं. एस–38013/22/2016–एसएस–1]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 2016

S.O. 1131.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st June, 2016 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttarakhand namely: -

"All the Revenue Villages in Haridawar and Udham Singh Nagar district."

[No. S-38013/22/2016-SS-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2016

का.आ. 1132.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा–1 की उप धारा–(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा **01 जून, 2016** को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय–4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय–5 और 6 (धारा–76 की उप धारा–(1) और धारा–77 ,78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध **उड़ीसा** राज्य के निम्नलिखित जिलों के संपूर्ण क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे :–

"अनुगोल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, बलांगीर, कटक, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, याजपुर, झारसुगुडा, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मयूरभंज, पुरी, रायगडा, संबलपुर, सोनपुर और सुंदरगढ़"।

[सं. एस–38013/23/2016–एसएस.–1]

अजय मलिक, अवर सचिव